रीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 141/2021 अनवान [redacted] बनाम रामाराम व [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढ़ाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 08.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, जाखड़ों की ढ़ाणी पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाड़मेर	
08.10.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढ़ाणी राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण कर्म संख्या 01 उपस्थित शेष कर्म संख्या 02 से 36 तक अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढ़ाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 273/89 रकबा 36.05 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 274/154 रकबा 48.08 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 84.13 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। अतः मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षैत्र जाखड़ों की ढ़ाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 273/89 रकबा 36.05 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 274/154 रकबा 48.08 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 84.13 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाड़मेर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढ़ाणी

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 रामाराम 2 जोगाराम पिसरान रतनाराम 3 श्रीमती माडूदेवी पत्नी रतनाराम जातियान प्रजापत निवासीयान फूसाणियों का तला जाखड़ों की ढ़ाणी तहसील व जिला बाड़मेर।		1 पुरखाराम पुत्र तिलोकाराम 2 हनुमानराम 3 जेठाराम 4 मेहराराम पिसरान किस्तुराराम 5 श्रीमती पेम्पोदेवी पत्नी किस्तुराराम 6 मांगीलाल 7 अशोक कुमार 8 मोटाराम पिसरान खेताराम 9 भंवराराम 10 दमाराम पिसरान केसाराम 11 सांगाराम 12 पूनमाराम पिसरान गंगाराम 13 श्रीमती लाछी देवी पत्नी गंगाराम 14 श्रीमती सुन्दर पत्नी लालाराम 15 आईदान 16 लिछमणा 17 खेता पिसरान पतु जातियान प्रजापत निवासीयान फूसाणियों का तला 18 पूराराम पुत्र गेनाराम जाति कुम्हार निवासी फूसाणियों का तला 19 वीरमाराम पुत्र लाभूराम 20 खरथाराम पुत्र भीयाराम 21 जयराम 22 भोमाराम पिसरान चिमाराम 23 किशनलाल 24 देवराज पिसरान मालाराम 25 श्रीमती पेम्पोदेवी पत्नी मालाराम 26 दूदाराम 27 जोगाराम पिसरान नानगाराम 28 श्रीमती चतरू देवी पत्नी नानगाराम 29 पदमाराम पुत्र सुरताराम 30 किरताराम पुत्र नारणाराम 31 रामाराम 32 चैनाराम 33 वीरमाराम 34 रूपो देवी पत्नी दीपाराम जातियान जाट निवासीयान फूसाणियों का तला जाखड़ों की ढ़ाणी 35 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर रा.प्रा.वि. मोडाणी मण्ड़ों की ढ़ाणी फूसाणियों का तला 36 ग्राम पंचायत जाखड़ों की ढ़ाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

दिनांक—08.10.2021

राजस्व आवेदन संख्या—141/2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढ़ाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 273/89 रकबा 36.05 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 274/154 रकबा 48.08 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 84.13 बोघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 5053-5056

दिनांक— 08/10/2021

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः—

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ो की ढ़ाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रामाराम, जोगाराम पिसरान रतनाराम श्रीमती माडूदेवी पत्नी रतनाराम जातियान प्रजापत निवासीयान फूसाणियों का तला जाखड़ों की ढ़ाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण पुरखाराम पुत्र तिलोकाराम वगैराह जातियान प्रजापत एवं जाट निवासीयान फूसाणियों का तला जाखड़ो की ढ़ाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर